392

496

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा
सम्भाग रीवा (म०प्र०)

===

श्री हेमकुमार आत्मदेवी एड. 22-11-14

R-4150-III/14

814
22-11-14

विजय प्रताप सिंह तनय छोटेलाल सिंह गोंड़ निवासी ग्राम सरैहा, तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.) -------- निगरानीकर्ता

बनाम

शान्ती पति रामसुन्दर राम ब्राह्मण निवासी वर्तमान ठोंगा, तहसील -मझौली जिला सीधी (म.प्र.) ----- गैर निगरानीकर्ता

द्वितीय राजस्व निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/नि./05-06 मे दिनांक 25.7.2014 को पारित।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा.सं. 1959

============================

क्रमांक 3853
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज .... को प्राप्त
.... 14-12-14
.... ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य :-

(क) यहकि ग्राम सरैहा, तहसील मझौली, जिला सीधी स्थित पुरानी आराजी खसरा क्रमांक 119/3 रकबा 1.630 हे0 मध्य प्रदेश शासन की भूमि थी। आराजी क्रमांक 119/3 मे आवेदक/निगरानीकर्ता का पुस्तैनी रूप से आबादी, कूप, बृक्ष लायन आदि एवं कृषि काश्त के रूप मे कब्जा दखल वर्तमान मे भी है।

(ख) यहकि अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता का पति रामसुन्दर राम ब्राह्मण जो रीवा जिले का मूल निवासी था जो सीधी जिला के अन्तर्गत मझौली वन परिक्षेत्र मे फारेस्टगार्ड के पद पर नौकरी करता था जो षड़यंत्र कर तहसील न्यायालय से मिली भगत बनाकर धन केबल पर उक्त आराजी

/2.

XXXIX(a)-BR(H)-11

(392)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–4150-III / 14 जिला–सीधी

विजय प्रताप सिंह / शान्ती

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हेम कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 202 / निग0 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	

...था जो सीधी जिला के अन्तर्गत
...ना। वन परिक्षेत्र में फारेस्टगार्ड के पद पर नौकरी करता था जो षड़यंत्र
कर तहसील न्यायालय से मिली भगत बनाकर धन केबल पर उक्त आराजी

/2.